



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.10.2026

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित/फरार चले रहे 25000/- रुपये के ईनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना प्रयुक्त पिस्टल व कारतूस बरामद।

दिनांक 23.10.2026 को थाना विजयनगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 155/2026 धारा 103(1)/61(2) बीएनएस में वांछित/फरार चल रहे ईनामिया अभियुक्त सुधाकर पुत्र आनन्द नि0 न्यू डिफेंस कालोनी डेरी वाली गली पहलवान के घर के पास गोपालपुरम रावली रोड़ थाना मुरादनगर गाजियाबाद को लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर कैप्टन गैस एजेन्सी कश्मीरी मंदिर के पास विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरा भतीजा यश खटीक पैरा एथलीट (दौड़) का खिलाड़ी है उसका दोस्त चिराग त्यागी एवं गगन त्यागी भी पैरा एथलीट दौड़ का खिलाड़ी था। चिराग त्यागी विदेश पैराएथलीट का खेलने गया था जहां से चिराग त्यागी को मेडल मिला था। मेरे भतीजे यश को भ्रम था कि चिराग त्यागी द्वारा पैरा एथलीट गेम से उसका नाम हटवा दिया था। इसीलिये गगन त्यागी ने मेरे भतीजे यश से कहा था कि चिराग त्यागी को मार दो फिर तुम विदेश पैरा एथलीट खेलने चले जाओगे। दिनांक 30.05.2026 को यश ने गगन त्यागी के कहने पर चिराग त्यागी की गोली मार कर हत्या कर दी। यह बात यश द्वारा मुझे फोन करके बतायी थी। तो मैं यश से मिलने उसके पास आया जिसने मुझे वह पिस्टल दी जिससे उसने चिराग त्यागी की हत्या की थी। मैं इस पिस्टल को लेकर रूप बदलकर सरदार के भेष में पंजाब ,हरियाणा एवं इंधार उधर छिप रहा था। आज मैं अपने घर जा रहा था पुलिस द्वारा मुझे चिराग त्यागी की हत्या करने वाली पिस्टल के साथ पकड़ लिया है।

अभियुक्त का नाम व पता –

सुधाकर पुत्र आनन्द नि0 न्यू डिफेंस कालोनी डेरी वाली गली पहलवान के घर के पास गोपालपुरम रावली रोड़ थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

- 01 पिस्टल 32 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना विजयनगर पुलिस टीम ।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 21.200 किलोग्राम गांजा नाजायज बरामद।

दिनांक 23.10.2026 को स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजे की तस्करी करने वाला अभियुक्त मनीष उर्फ टेढ़ा पुत्र राजू निवासी गली नं0-6 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष को आश्रम कट के सामने हिण्डन नदी घाट को जाने वाले कच्चे रास्ते के पास थाना नन्दग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 21.200 किलोग्राम गांजा नाजायज बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नन्दग्राम पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मैं यह नाजायज गांजा झण्णी पड़ी सीमापरी दिल्ली से एक व्यक्ति से लाया हूँ जो अपना नाम पता नहीं बताता है तथा उक्त गांजे को ज्यादा दामों में बेचकर अपना खर्चा व शौक पूरा करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मनीष उर्फ टेढ़ा पुत्र राजू निवासी गली नं0-6 तीस फुटा रोड दीनदयालपुरी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

21.200 किलोग्राम गांजा

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त मनीष उर्फ टेढ़ा उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर 10 अभियोग एनडीपीएस/आबकारी एक्ट संबंधी व 09 अभियोग थाना सिहानी गेट पर चोरी/एनडीपीएस एक्ट/आबकारी/आर्म्स एक्ट संबंधी कुल 19 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

स्वाट टीम नगर जोन व थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 2 किलो 372 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त स्कूटी व मोबाइल फोन बरामद।

आज दिनांक 23.10.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त 1.शाहआलम पुत्र बाबू खान निवासी करीम कॉलोनी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र करीब 33 वर्ष 2. आदिल पुत्र अनीस निवासी जाफर कॉलोनी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 2 किलो 372 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त स्कूटी व मोबाइल फोन बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना मसूरी पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा- 8/20/60(3) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों यह अवैध गांजा चोरी-छुपे दिल्ली से खरीदकर लाते हैं तथा गांजा की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर स्कूटी से राह चलते लोगों को बेच देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शाहआलम पुत्र बाबू खान निवासी करीम कॉलोनी ग्राम पिपलैडा थाना धौलाना जनपद हापुड़, उम्र करीब 33 वर्ष।

2. आदिल पुत्र अनीस निवासी जाफर कॉलोनी थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से कुल 2 किलो 372 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त स्कूटी व मोबाइल फोन बरामद

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस द्वारा मोटर साईकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल

अपचारी को संरक्षण में लिया गया। कब्जे से चोरी की 02 मोटर साईकिल चोरी की बरामद।

दिनांक 23.10.2026 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्त 1. अंशू उर्फ अंशुल पुत्र हरेन्द्र गड़रिया निवासी ग्राम बपारसी थाना सरधना जिला मेरठ 2. रवि उर्फ सचिन पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम नगुवा थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर को संतोष मेडिकल के गेटे नं० 02 से 100 मीटर पहले सर्विस रोड थाना विजयनगर से चोरी की 02 मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त व बालअपचारी ने बताया कि हम लोग दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में बाजार एवं भीड़भाड़ वाले इलाको से मोटर साईकिल की चोरी करते हैं। जो मोटर साईकिल हमसे बरामद हुई है वह भी चोरी की है। आज भी हम इन चोरी की मोटर साईकिलों से अन्य मोटर साईकिल चोरी करने की फिराक में निकले थे कि पुलिस द्वारा हमें पकड़ लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता –

1. अंशू उर्फ अंशुल पुत्र हरेन्द्र गड़रिया निवासी ग्राम बपारसी थाना सरधना जिला मेरठ उम्र करीब 21 वर्ष।
2. रवि उर्फ सचिन पुत्र सोहनवीर निवासी ग्राम नगुवा थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 19 वर्ष।
3. 01 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण:-

1. रजिस्ट्रेशन नम्बर DL14SU3889 चैसिस नं०- MBLHAW222PHJF4413, HERO स्पलेण्डर प्लस चोरी की।
2. रजिस्ट्रेशन नम्बर DL1SAG7653 चैसिस नं०- MBLHAW222P4E16414, हीरो स्पलेण्डर प्लस, चोरी की।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त अंशू उर्फ अंशुल पुत्र हरेन्द्र उपरोक्त पर - 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित थाना सरधना जिला मेरठ, 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त रवि उर्फ सचिन पुत्र सोहनवीर उपरोक्त पर - 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित थाना सरधना जिला मेरठ , 01 अभियोग चोरी से सम्बन्धित थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पर कुल 02 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना विजयनगर पुलिस टीम ।